

प्रायलय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

अधिकारी - मनोज, आर.ए.एस.

ख्या- 03/24 प्रा०पत्र

बलराज चन्द 51081 लखनलाल वाहाण निगारी- मेजा तहसील माण्डल (मेजा) - प्रार्थी

बनाम

गोविन्द कुमार 51081 लखनलाल वाहाण निगारी- मेजा तहसील माण्डल (मेजा)
(संबन्धित प्रा०पत्र संलग्न) विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111- 128 रा.भू. रा. अधि. 1956

दिनांक :- 19.3.24


:: आदेश ::

मेजा से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा. भू.रा. अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन नाम मेजा पटवार हल्का मेजा तहसील माण्डल में उसके खाते खाते की आराजी न० 2178, 589, 590 कुल किता 03 रकबा 1.2647 हैक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मृतदायिवा के सीता चिन्ह नहीं। दिनर सीमा संबंधी विवाद उत्पन्ना होता रहता है जिसमें प्रार्थी अपने खाते / संयुक्त खाते की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान कराये जावें।

ना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 10.01.24 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढ़ी अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से आधिकारी निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों ए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

:: आदेश ::

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा. भू.रा. अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम मेजा पटवार हल्का मेजा तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की 2178, 589, 590 कुल किता 03 रकबा 1.2647 हैक्टेयर में तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता है किये जाने हेतु भू- अभिलेख निरीक्षक मेजा को 600/- रूपये /- स पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजूदगी में मोके व कब्जे की यस्थास्थिति को हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढ़ी की जावे। फसल खडी होने पर पत्थरगढ़ी जावें।


उपखण्ड अधिकारी
माण्डल

तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।




उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
माण्डल